न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 39/2022

अनवान :–

1. दिपेश कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. विमला पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. मनोहरी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. साजनराम पुत्र अमीलाल जात जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायलान

7. गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

तरतीबी गेरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक : 26/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 64/68 के खसरा न0 147/2 की 1.0120हैक भूमि गै0मु0भटटा व खसरा न0 147/4 की 1.1390हैक भूमि बारानी कुल 2.1510हैक भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 84/87 के खसरा न0 148/1 की 0.2910हैक व खसरा न0 154/1 की 5.8700हैक कुल 6.1610हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 के नाम शामिल खाते मे दर्ज है।

रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 38/39 के खसरा न0 147/1 की 2.1510हैक भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अर्सा दराज से अपनी कृषि भूमि काश्त करता चला आ रहा है तथा खसरा न0 147/2 की 1.0120हैक भूमि को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 07.05.2013 से संपरिवर्तन की जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 भटटा के रूप मे दर्ज है तथा खसरा [illegible] भूमि में प्रार्थी ईन्ट भटटे का व्यवसाय करता है तथा खसरा न0 147/4 [illegible] भूमि कृषि उपयोग में लेता है सायल तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खसरा [illegible] 147/1 के मिन उ[illegible]र्व कोने में 3 गठठा चौडा अपनी भूमि में जाने के लिए स्वीकृ[illegible]दा रास्ता सडक सो[illegible] मालिया होते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हुए गैरसायलान के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर में पूर्व से पश्चिम 3–3 गटटा चौडा रास्ते से चलकर तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के अपने खेत में पहूचता है व सायल तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने मे 3 गठठा चौडा रास्ता से होते हुए अपने खेत के खसरा न0 147!4 में प्रवेश करता है तथा सायल इसी रास्ते से सदामत से आवागमन करता आ रहा है।

उक्त रास्ते के बदले में तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ने अपनी भूमि के खसरा न0 147/1 के मिन पूर्वी दक्षिणी बारानी भूमि जो गैरसायल संख्या 1 ता 4 के चिपते हुए है गैरसायलान को दे रखी है उक्त रास्ता पर काफी वर्षो से आपसी सहमति से आवागमन होता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नही होने के कारण गैरसायलान हमेशा रास्ता बंद करने की घमकी देते है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को रास्त बन्द नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 के खेत खसरा न0 148/1 के मिन उत्तर में पूर्व से पश्चिम 3–3 गठठा चौडा रास्ता व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खेत के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने में 3 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे तथा रास्ते की भूमि के बदले में तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ने गैरसायल संख्या 1 ता 4 को अपने खेत के खसरा न0 147/1 के मिन पूर्वी दक्षिणी बारानी भूमि दे रखी हे जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया गैरसायल संख्या 7 तरतीबी गेरसयाल है जिसका अनुतोष सायल के अनुतोष में निहित है गैरसायल संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये गैरसायल संख्या 3 ,4 को जबाब पेश करने का अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नही किया जबाब बन्द किया जाता है गैरसायल संख्या 1 ,2 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रार्थी द्वारा कभी भी चाहे गये रास्ते से आवागमन नही किया करता है क्योकि वहा पर रास्ते का कोई अस्तित्व नही है अवरोध पैदा करने का कथन गलत अंकित किया है अप्रार्थीगण के द्वारा फसल काश्त की जा रही है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि खसरा न0 147/2 की 1.0120हैक्‍ भूमि माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 07.05.2013 से सपरिर्वतन की जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.भटटा दर्ज है माननीय न्यायालय में दिनांक 07.05.2013 को ईन्ट भटटा तक आने जाने हेतु स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही था तो सपरिर्वतन आदेश दिनांक 07.05.2013 कतई गलत तौर से किया गया है प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अन्य स्त्रोत से रास्ता स्वीकृत है प्रार्थी गावं सोनडी से चलकर मालिया सडक से खसरा न0 148/2 के दक्षिण दिशा से पश्चिम होकर अपने खेत में प्रवेश करता है जोकि अनके लिए नजदीक में पडता है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ,2 की भूमि से रास्ता की मांग गलत व विधि विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:47 IST
Reason: SelfAttested

..2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी ने हम अप्रार्थी संख्या 1 ,2 के नाम कि भूमि जिस खसरा कि भूमि में चालू होना बताया है वह रास्ता ना तो कभी चालू था ना अब है बल्कि वह हम पर सदा से फसल काश्त करते आ रहे है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य मनगढत व मनमर्जी से अंकित किये गये है अप्रार्थीगण संख्या 1 ,2 को हैरान परेशान करने के लिये प्रार्थना पेश किया गया है जो खारिज योग्य है

गैरसायल संख्या 1 ,2 का जबाब शामिल मिसल किया गया मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल अर्सा दराज से अपनी कृषि भूमि काश्त करता चला आ रहा है तथा खसरा न0 147/2 की 1.0120हैक्‍ भूमि को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 07.05.2013 से संपरिवर्तन की जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 भटटा के रूप मे दर्ज है तथा खसरा न0 147/2 की 1.0120हैक्‍ भूमि में प्रार्थी ईन्ट भटटे का व्यवसाय करता है तथा खसरा न0 147/4 की 1.139हैक्‍ भूमि कृषि उपयोग में लेता है

सायल तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने में 3 गठठा चौडा अपनी भूमि में जाने के लिए स्वीकृतशुद्वा रास्ता सडक सोनडी से मालिया होते हुए गैरसायलान के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर में पूर्व से पश्चिम 3–3 गटटा चौडा रास्ते से चलकर तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के अपने खेत में पहूचता है व सायल तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने मे 3 गठठा चौडा रास्ता से होते हुए अपने खेत के खसरा न0 147/4 में प्रवेश करता है तथा सायल इसी रास्ते से सदामत से आवागमन करता आ रहा है तथा रास्ते की भूमि के बदले में भूमि दे रखी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी चालू नही रहा है हमेशा से फसल काश्त होती आ रही है सायल को उसकी भूमि व भटटा में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है सायल ने भटटा सपरिर्वतन करवाया था तो रास्ता उपलब्ध था तभी भटटा के लिये भूमि सपरिर्वतन हुई है रास्ता नही था तो सपरिर्वतन गलत तौर से करवाया गया है सायल गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मोजा मालिया के खाता संख्या 64/68 के खसरा न0 147/2 की 1.0120हैक्‍ भूमि गै0मु0भटटा व खसरा न0 147/4 की 1.1390हैक्‍ भूमि बारानी कुल 2.1510हैक्‍ भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 84 के खसरा न0 148/1 की 0.2910हैक्‍ व खसरा न0 154/1 की 5.8700हैक्‍ कुल 6.1[illegible]0हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 के नाम शामिल खाते मे दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:47 IST
Reason: SelfAttested

..3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 38/39 के खसरा न0 147/1 की 2.1510हैक भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल अपनी खातेदारी एव ईट भटटा पर तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने में स्वीकृतशुद्वा रास्ता सडक सोनडी से मालिया होते हुए गैरसायलान के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर में पूर्व से पश्चिम 3–3 गटटा चौडा रास्ते से चलकर तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के अपने खेत में पहूचता है व सायल तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने मे 3 गठठा चौडा रास्ता से होते हुए अपने खेत के खसरा न0 147/4 में प्रवेश करता है तथा सायल इसी रास्ते से सदामत से आवागमन करता आ रहा है।

गैरसायल संख्या 1 ,2 का कथन है कि सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता कभी भी चालू नही रहा है सायल को अन्य रास्ता उपलब्ध है सपरिर्वतन रास्ते के बिना नही हो सकता है रास्ते की बिना करवाया गया है तो गलत है सायल रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है

सायल के द्वारा प्रस्तुत नवीन जमाबन्दी के अनुसार गैरसायल संख्या 1 ,2 ने खाता विभाजन उपरान्त खाता संख्या 84/87 के खसरा न0 336/148 की कुल 0.1455 मे परिर्वतन हो चुकी है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार खसरा न0 148/1 जो वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 84/87 के खसरा न0 336/148 में विभाजन उपरान्त पैमुद हो चुका है के तथा गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि के चिपते हुए खसरा न0 151 में मौके पर सोनडी से मालिया पक्की सडक चल रही है जो नजरीय नक्शा में नीले रग से दर्शित है तथा सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 की भूमि में पहुचने के लिए मौका रिपोर्ट अनुसार सोनडी से मालिया पक्की सडक के मध्य केवल गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि है।

मौका रिपोर्ट अनुसार सायल अपने खेत ईट भटटा में जाने के लिये गैरसायल के खसरा न0 148/1 नया 336/148 में रास्ता काम में ले रहा है अर्थात यह रास्ता वर्तमान में चालू है यही रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि ईट भटटा तक जाने के लिये सुविधाजनक है अन्य कोई रास्ता सायल की भूमि या ईट भटटा तक जाने के लिये नही है ना ही गैरसायल संख्या 1 ,2 ने सायल की भूमि तक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध है बताया गया है।

सायल व गैरसायल संख्या 7 का पुत्र है जिनका अनुतोष एक दुसरे में निहित है इसलिये गैरसायल संख्या 7 रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने के लिये भी सहमत है

गैरसायल ने सायल के रास्ते के सबध में केवल यह विरोध है कि सपरिर्वतन गलत तोर से करवाया है रास्ता उपलब्ध है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:47 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल ,1 , 2 की भूमि के चिपते हुए खसरा न0 151 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता पक्की सडक सोनडी से मालिया

..4

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जिससे सायल की भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल गैरसायल 1 ,2 से मांगे हुए रास्ते से अपने खेत में आवागमन करता है सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता तथा तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायलान संख्या 1 ,2 की भूमि में सें रास्ता दिया जाना उचित है यही रास्ता सायल एवं गेरसयाल के लिये उचित रहेगा।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है गैरसायल को रास्ते की भूमि के बदले भूमि दी जा रही है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नही हो रहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार स्वीकारं योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खसरा न0 148/1 हाल जमाबन्दी में दर्ज खसरा न0 336/148 की 0.1455हैक जो गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है में से मिन उत्तर पूर्व से पश्चिम की और 2–2 गठठा चौडा रास्ता व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खेत के खसरा न0 147/1 के मिन उत्तर पूर्व कोने पर 2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में तरतीबी गैरसायल संख्या 7 गैरसायल संख्या 1 ,2 को अपने खेत के खसरा न0 147/1 के मिन पूर्वी दक्षिणी गैरसायल संख्या 1 ,2 के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 815 दिनांक 26/07/24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना—पत्र सं0 39 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :—

अनवान :—

1. दिपेश कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 विमला पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. मनोहरी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. साजनराम पुत्र अमीलाल जात जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

—गैरसायलान

7. गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

तरतीबी गेरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है रोही मौजा मालिया के खसरा न0 148 / 1 हाल जमाबन्दी में दर्ज खसरा न0 336 / 148 की 0.1455हैक जो गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है में से मिन उत्तर पूर्व से पश्चिम की और 2—2 गठठा चौडा रास्ता व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 के खेत के खसरा न0 147 / 1 के मिन उत्तर पूर्व कोने पर 2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में तरतीबी गैरसायल संख्या 7 गैरसायल संख्या 1 ,2 को अपने खेत के खसरा न0 147 / 1 के मिन पूर्वी दक्षिणी गैरसायल संख्या 1 ,2 के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:47 IST
Reason: SelfAttested